



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक : 1867 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / एच-6

दिनांक : 24.10.2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निदेशक मण्डल के कार्योंत्तर (Post-Facto) अनुमोदन की प्रत्याशा में, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में “उपनल”, “पी०आर०डी०” तथा “सैल्फ हैल्प ग्रुप” के कार्योजित कार्मिकों को पूर्व में जारी कारपोरेशन आदेश सं० 1748 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / एच-6 दिनांक 05.10.2021 एवं 648 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / एच-6 दिनांक 18.04.2023 के क्रम में “विशेष ऊर्जा भत्ते” की दरों में निम्नवत् बढोतरी किए जाने की स्वीकृत प्रदान की जाती हैं :-

क्रम सं०	कार्मिकों की श्रेणी	पूर्व में अनुमन्य विशेष ऊर्जा भत्ते की दर (प्रतिमाह)	बढोतरी (प्रतिमाह)	बढोतरी के उपरान्त अनुमन्य विशेष ऊर्जा भत्ते की दर (प्रतिमाह)
01	समूह 'ख' / उच्च कुशल	रु० 1000 / -	रु० 350 / -	रु० 1350 / -
02	समूह 'ग' / कुशल	रु० 800 / -	रु० 300 / -	रु० 1100 / -
03	समूह 'ग' / अर्द्ध कुशल	रु० 700 / -	रु० 250 / -	रु० 950 / -
04	समूह 'घ' / अकुशल	रु० 600 / -	रु० 200 / -	रु० 800 / -

विशेष ऊर्जा भत्ते पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (जहाँ लागू हो) का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी०एस०टी० का भुगतान वर्तमान व्यवस्था के अर्न्तगत नियमानुसार अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

अध्यक्षा, पिटकुल

पत्रांक : 1867 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / एच-6 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-निदेशक (मा०सं०) / (परिचालन) / (परियोजना), पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल,
4. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,
6. समस्त आहरण वितरण अधिकारी / समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
7. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित पत्रावली / कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(औ०)